राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2013)/2018/1625 दिनांकः–27/07/2018

आदेश

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की भर्ती हेतु निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 के सन्दर्भ में विवाह के कारण माइग्रेट (Migrate) होकर राजस्थान में निवास कर रही अन्य राज्य की आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थिया मानते हुये चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाकर चयनित अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर निदेशालय के आदेश दिनांक 05.01.2016 के द्वारा पदस्थापन किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध प्रभावित महिला अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में अनेकों याचिकायें दायर की गई, जिनमें से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 21015/2017 द्वारा सुमनलता व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018 के अन्तर्गत अवमानना याचिका संख्या 665/2018 माननीय न्यायालय में दायर हो चुकी है। उक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता कुमारी उषा को समानान्तर प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी./माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. के निर्णय के अध्यधीन एवं कार्मिक/वित्त विभाग से प्रदत्त सहमति के अध्यधीन उनके जाति वर्ग में वरीयतानुसार चयन किया जाकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है:-

S. No.	Application No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Category	Applicable Avg 85%	Bonus Marks	Total Percentage	Place of Posting
1	6030007007	Kumari Usha	Hari SIngh	07-Sep-73	SC	55.420	0	55.420	CMHO JAISELMER

उक्त चयनित अभ्यर्थिया को वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–एफ15(1)/एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 में वर्णितानुसार दो वर्ष के प्रोबेशन काल में राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-8 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 18500/– (अठ्ठारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित वेतन नियमानुसार देय होगा।

यह चयन एवं पदस्थापन आदेश निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी किया जा रहा है:–

1. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनांक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/ पैरामेडिकल/सीधी भर्ती–2013/2015/391 दिनांक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत् पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित की जानी है।

5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा संत्यापित हो) शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)

6. अभ्यर्थियां द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत अभ्यर्थिया को अपने अधीन पदभार ग्रहण किये जाने के आदेश जारी किये जावेगें।
मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी द्वारा दूरदराज के क्षेत्र के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जावें।

7. उक्त अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।

8. अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटचरित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

9. **विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे।**

10. उक्त अभ्यर्थिया को दिनांक <u>13.08.2018</u> तक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र **<u>क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.05</u>** में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

12. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमो एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश एवं शर्तो के अध्यधीन है।

13. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन श्रेणी मे चयनित है उन्हे अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्ता श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरूद्व किया गया है उन्हे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुनर्विवाह नही किया है।

16. नवचयनित अभ्यर्थियो से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा।

17. **अभ्यर्थिया के कार्यग्रहण** करते समय आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन एवं कार्यग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना आवश्यक है।

18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेगें।

19. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2013)/2018/1625 दिनांकः–27/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनांक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत करवाये तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनांक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही उपरान्त अभ्यर्थियो को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें:–
   (i) अभ्यर्थिया का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एसबीसी/एसटी/एससी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (ii) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उनके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (iii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छाया प्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिका के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावें।
   (iv) अभ्यर्थिया को राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।
   (v) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (vi) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नहीं करावें।
   (vii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
   (viii) आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थिया से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों आदि को प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.08.2018 को विशेष वाहक को निदेशालय में भिजवावें।
10. संबंधित केस अधिकारी प्रभारी एवं समन्वयक।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

12. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजो के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।

13. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर